मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2020, परीक्षा दिनांक 24.04.2022 से 29.04.2022

संशोधित परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.–531/22/2022/अनु.–10 इंदौर दिनांक :– 15/04/2023

आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2020 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

01/ विज्ञापन क्रमांक–03/2020/28.12.2020, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 10.02.2021।
(1) शुद्धि पत्र क्रमांक–01/03/2020, दिनांक 10.02.2021 (पद संयोजन के संबंध में।)
(2) शुद्धि पत्र क्रमांक–03/03/2020, दिनांक 10.02.2021 (पद संयोजन के संबंध में।)

02/ उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2020 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, शहडोल, एवं बड़वानी के केन्द्रों पर दिनांक दिनांक 24.04.2022 से 29.04.2022 तक आयोजित की गई थी।

03/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसाार है :–

स.क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	61	32	54	87	26	260
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं हेतु आरक्षित रिक्तियां	20	09	19	29	07	84
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित रिक्तियां	04	—	03	05	01	13
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्तियां	(VH-04, HH-05, OH-02, MD-01)					12
Abbreviations:	UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS-Economically Weaker Sections OH -Orthopedic Handicapped, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability						

04/ राज्य सेवा परीक्षा–2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक–एफ 07–46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में आयोग द्वारा अपनी बैठक दिनांक 29.09.2022 के निर्णय क्र.–26 में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य सेवा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया।

परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाए :–

1. सर्वप्रथम सभी विज्ञापनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27 प्रतिशत मान्य करते हुए उन्हें 14 प्रतिशत मुख्य भाग हेतु एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग हेतु गणना कर पृथक–पृथक किया जाए। साथ ही समस्त विभागों से 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजित विवरण मांग लिया जाए।
2. उपरोक्त विभाजित 14 प्रतिशत पदों को अन्य वर्गो हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों के 87 प्रतिशत को मुख्य भाग लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।
3. उपरोक्त (1) की गणना के अनुसार प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत पदों के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापित पद संख्या के आधार पर प्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरूद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरूद्ध।
4. समस्त चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के संदर्भ में पुनरीक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विभाजित पद विवरण सहित

अविरत/......

सभी पदों का विज्ञापित पद विवरण अनिवार्यतः मांग लिया जाए। विभागों से पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापित पदों के मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।

5. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का वचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।
6. साक्षात्कार के उपरांत माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए।
7. तत्पश्चात् मुख्य भाग (87) प्रतिशत का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर अनुशंसा संबंधित विभागों को प्रेषित की जाए।
8. प्रावधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम दोनों वर्गो (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए तैयार कर दो पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफों में रख दिया जाए। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात् जिस भी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होता है वह लिफाफा खोलकर चयन परिणाम घोषित कर विभागों को अनुशंसा प्रेषित की जाए।
9. सभी लंबित लिखित परीक्षाओं/साक्षात्कार होने वाले या सम्पन्न हो चुके भर्ती परीक्षाओं के परिणाम यथाशीघ्र घोषित किए जाए।
10. उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र का उल्लेख करते हुए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।
11 समस्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका डब्ल्यू.पी.–5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

05/ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07–46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2020 के विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति क्रमांक–14231/22/2022/अनु.–10, दिनांक 05.02.2023 द्वारा दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया गया था। आयोग की बैठक दिनांक 29.09.2022 के संदर्भ में साक्षात्कार पूर्व शासन के विभिन्न विभागों से विज्ञापित पदों का मुख्य एवं प्रावधिक भाग में पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त किया गया है।

06/ उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित पद विवरण अनुसार आयोग द्वारा शुद्धि पत्र क्रमांक–03/03/2020, दिनांक 13.04.2023 को प्रकाशित कर दिया गया है। प्राप्त पुनरीक्षित पद विवरण में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल–87 पदों में मुख्य भाग–अ हेतु 14 प्रतिशत के मान से 48 पद तथा प्रावधिक भाग–ब हेतु 13 प्रतिशत के मान से 39 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु तद्नुसार प्रावधिक भाग में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु 39 पद एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु काल्पनिक 39 पद रखे गए है।

07/ तद्नुसार पूर्व घोषित परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति क्र.–14231/22/2022/अनु.–10, दिनांक 05.02.2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैं।

<u>मुख्य भाग–अ</u> के लिए पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

<u>मुख्य भाग–अ</u>

श्रेणी	कुल पद
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	48

पूर्व में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2020 का परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक–14231/22/2022/अनु.–10, दिनांक 05.02.2023 को घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में अन्य पिछड़ा वर्ग के पूर्व में **<u>प्रावधिक भाग–ब</u>** लिए साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों में से कुल–12 अभ्यर्थी **<u>मुख्य भाग–अ</u>** हेतु अतिरिक्त अर्ह पाए गए है जिनके अनुक्रमांक निम्नानुसार है :–

अविरत

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
STATE SERVICE MAIN EXAM 2020 PART A(MAIN) REVISED
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW

Sr	RollNo
1	105038
2	105801
3	104399
4	105705
5	103639
6	103622
7	100105
8	102162
9	100753
10	101801
11	102397
12	101948

15/04/23

उपरोक्त कुल–12 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक मुख्य भाग में अर्ह पाए जाने के कारण पूर्व में दिनांक 05.02.2023 को घोषित परीक्षा परिणाम से विलोपित किए जाते है।

प्रावधिक भाग–ब के लिए पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रावधिक भाग–ब

श्रेणी	कुल पद
अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	39
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	39

राज्य शासन के विभागों से प्राप्त पुनरीक्षित पद विवरण अनुसार प्रावधिक भाग–ब से पूर्व में दिनांक 05.02.2023 को घोषित **प्रावधिक भाग–ब** के परीक्षा परिणाम से कुल–6 अभ्यर्थियों की साक्षात्कार हेतु उम्मीद्वारी निरस्त की जाती है जिनके अनुक्रमांक निम्नानुसार है :–

अविरत

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
STATE SERVICE MAIN EXAM 2020 PART B(PROVISIONAL) REVISED
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES DISQUALIFIED FOR INTERVIEW

Sr	RollNo
1	101459
2	104208
3	102373
4	106606
5	102972
6	103719

15/04/23

महत्वपूर्ण टीप :—

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णत प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2020 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तो को पूर्ण नहीं करते है तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. महिला आरक्षण में आरक्षित वर्ग की वे महिला अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
4. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2020 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
5. समस्त न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी।
7. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
8. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के पश्चात भी यदि कोई भी तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास लिखित परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.–5901/2019 एवं समान अन्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

15/04/23

उप परीक्षा नियंत्रक